न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 46 / 2020

''एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड''
मुख्य व्यवसायिक कार्यालयः— 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल, उदयपुर

...............**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) श्री उमा शंकर गुप्ता पुत्र श्री भुपेंद्र गुप्ता जाति अग्रवाल वैश्य,
निवासीः— 5, लक्ष्मण भवन, आदर्श नगर, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर—305002
(2) श्रीमती इंद्रा गुप्ता पत्नी श्री भुपेंद्र नाथ गुप्ता जाति अग्रवाल वैश्य
निवासीः— 5, लक्ष्मण भवन, आदर्श नगर, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर—305002
(3) श्री पार्थ गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद गुप्ता जाति अग्रवाल वैश्य
निवासीः— 5, लक्ष्मण भवन, आदर्श नगर, जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर—305002
(4) श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुंदर शर्मा जाति ब्राहमण
निवासीः— 490 / 40, बालुपुरा रोड, केसरी कॉलोनी, आदर्श नगर,
जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर—305002

.................**अप्रार्थीगण / ऋणी**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :— अवतार सिंह उप्पाल अभिभाषक प्रार्थी

<u>दिनांक 28.01.2020</u>

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 07.02.2017 को रू. 25,00,000 / — (अक्षरे पच्चीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर बिहारी गंज, भजनगंज जिला अजमेर (राज0) स्थित नग परिषद सम्पत्ति संख्या 578 / 28 व 577 / 28 का भाग, क्षैत्रफल 154.00 वर्ग यार्ड जिसमे भूमि भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्री उ शंकर गुप्ता पुत्र श्री भुपेंन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल वैश्य के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीम निम्नानुसार है— पूर्व में—सम्पत्ति संख्या 579 / 28, पश्चिम में—नसीराबाद मुख्य रोड, उ में— सम्पत्ति संख्या 577 / 28 का शेष भाग, दक्षिण में—20 फुट चौडी गली, को ब जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी क को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्र चूक कर दी और दिनांक 21.09.2017 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.09.201 रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 27,70,002 / — (अक्षरे सताईस लाख सत्तर हजार दो मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक, बिहारी गंज, भजनगंज जिला अजमेर (राज0) स्थित नगर परिषद सम्पत्ति संख्या 578/28 व 577/28 का भाग, क्षेत्रफल 154.00 वर्ग यार्ड है, जिसमे भूमि भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्री उमा शंकर गुप्ता पुत्र श्री भुपेंन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल वैश्य के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं निम्नानुसार है– पूर्व में–सम्पत्ति संख्या 579/28, पश्चिम में–नसीराबाद मुख्य रोड, उत्तर में– सम्पत्ति संख्या 577/28 का शेष भाग, दक्षिण में–20 फुट चौडी गली का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।

मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner